DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY RASHTRIYA SWABHIMAAN KHEL PARISAR

NOTICE INVITING QUOTATION NO.02/RSKP/DDA/2019-20

The Secretary, Rashtriya Swabhimaan Khel Parisar, DDA invites sealed quotations for the work mentioned herein below. The quotations should reach the office of the Secretary, RSKP, DDA by 3.00 P.M. on <u>01/11/2019</u> The sealed quotations shall be opened on the same day at 3.30 P. M. in the office of the Secretary of the Complex. The quotationers or their authorized representatives may be present at the time of the opening of the sealed quotation "Earnest money in the form of pay order / demand draft of any Nationalized Bank approved by Reserve Bank of India drawn in favour of "CAU SPORTS DDA, DDA" to be submitted with the quotation. Any quotation which is not accompanied with the Earnest Money in the prescribed manner, shall be rejected summarily and not accounted for at all". Quotation from experienced agencies having a minimum one year experience in any Govt. Organisation / PSU/ Private sector for the following works:-

Reserve Price : ₹ 2, 13, 684/- Earnest Money : ₹ 10,000/-

NOW: M/o RSKP, DDA.

SH: Running & maintenance of snack bar on monthly licence fee basis at RSKP, DDA.

S. No.	Description of items	Qty	Unit	Rate	Amount
1.	Running & maintenance of snack bar on monthly licence fee basis at RSKP, DDA	12 Months	Per Month		
	TOTAL				

AE (Civil), RSKP

F1(10)2012/RSKP/Pt.II/465 Date: 21/10/2019

Copy to:

- 1. PS to Commissioner (Sports), DDA: for information please.
- 2. Director (System) through email: ddatender@dda.org.in for publishing of DDA Website.
- 3. Sr. A.O.CAU (Sports) DDA.
- 4. All Secretaries of the DDA Sports Complexes with the request to display the N.I.Q. at Notice Board of their respective Complexes.
- 5. The Secy./DDA Contractor's Welfare Association, Barrack No.1, Block-A, Vikas Kuteer, New Delhi.
- 6. General Secretary, Delhi Contractor's Welfare Association (Regd.), 306, Masjid Moth, NDSE, Part-II, New Delhi-110049.
- 7. The Secy. /DDA Contractor Associations, E-18, Vikas Kuteer, New Delhi.
- 8. Cashier/AAO/RSKP, DDA.
- 9. RE(C)/AE (C)/RSKP, DDA.
- 10. Notice Board/RSKP, DDA.

CERTIFICATE

I/We, the authorised person of the above named firm/Company apply on behalf of the intending firm/company to the Delhi Development Authority, Delhi for running a Snack Bar/Cafeteria at Rashtriya Swabhimaan Khel Parisar for a period of 12 (twelve) months under the terms and conditions of the contract. I have read and understood the conditions of the contract and hereby accept the same on behalf of the intending firm/tenderer. I/We intending tenderer on behalf of the firm/company will pay the charges and complete the agreement in the form prescribed in accordance with the said conditions when called upon to do so. If I/We fail to deposit the amount on account of security & Bank Guarantee or to fulfill any of my/our obligations made in the terms and conditions of the contract, the amount deposited by me/us as the earnest money shall stand forfeited absolutely to DDA.

The DDA may at its discretion accept the offer made by me/us above or reject the same without assigning any reason.

(Signature of Applicant with Rubber Stamp) on his / her of the above named Intending Licensee

Note: - The above format may be downloaded, filled-in and scanned copy uploaded. Before submitting the quotation, the quotationer may inspect the site and satisfy himself about its location, area and assess the business prospects.

GENERAL TERMS & CONDITIONS FOR GRANT OF LICENCE FOR RUNNING & MAINTENANCE OF SNACK BAR DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY AT RASHTRIYA SWABHIMAAN KHEL PARISAR.

- 1. a) Any person, except a minor may quote for grant of the licence for running of a Snack Bar Delhi Development authority at Rashtriya Swabhimaan Khel Parisar.
 - b) Change in the constitution/share holding of the licensees will not be allowed under any circumstances.
 - c) DDA, may in its discretion, accept any quotation / tender or reject of all quotations/ tenders without assigning any reason.
- 2. Before giving the quotation, the bidder may inspect the site and satisfy himself about its location, area and assess business prospects and it shall be presumed that the tender is being given on, as is where is basis. No claim shall lie and entertained on account of any deficiency in the location, area and lack of business on that account.
- 3. The quotation shall remain valid for a period of 60 days from the date of opening of Bid. If the bidder withdraws his offer before the said period or makes any modification in the terms and conditions of the tender which are not acceptable to Delhi Development Authority, his entire earnest money shall be forfeited. The decision of Commissioner (Sports) in this regard shall be final and binding and shall not be questioned before any court or other forum.
- 4. The **Earnest Money of ₹ 10000/-** (Rupees Ten Thousand Only) shall be deposited through NEFT/RTGS in the account of "CAU SPORTS DDA".
- 5. Within 7 days from the date of acceptance of bidder, the licensee shall execute an agreement on stamp paper of the requisite value and shall bear all expenses in connection with execution thereof.
- 6. The successful bidder shall deposit the payment of licence fee + GST (as applicable) for one month in advance.
- 7. The successful bidder shall deposit the security deposit equivalent to three months Licence Fee in the form of Demand Draft/Call Deposit Receipt of any scheduled bank of RBI in favour of "CAU SPORTS DDA". The same shall be refundable after 3 months of the date of handing over of the vacant possession of the site and subject to satisfactory and due fulfillment of the conditions of Agreement during the licence period. The security so deposited shall however be forfeited in the event or breach of any the clauses as contained in the agreement.
- 8. The licensee shall have to pay to the licensor, the monthly licence fee + GST (as applicable) thereon in advance by the 10th of each month. In addition water and electricity charges will be paid by the licensee as per reading of the respective meter installed at the licensed premises or as per demand of the licensor based on average consumption in case meter is not installed. In the event of licence fee, water and electricity charges not being paid by the licensee in the time the licencee shall be liable to pay interest @ 18% p.a. on the remaining amount unpaid. The interest shall be computable on fortnightly basis and default of a single day shall be treated as half month. In addition the licence shall also be liable to be cancelled and security deposit shall stand forfeited without any notice and on such cancellation of the

licence, the licensee shall quit immediately and the licensor shall be entitled to re-allot the premises.

- 9. Within 7 days from the date of acceptance of quotations/tenders, the licensee shall pay security deposit in the form of Demand Draft / CDR of any Nationalized Bank equitant to 3 months licence fee. Such security deposit shall be interest free and will be refundable subject to fulfillment of all the terms and conditions to the complete satisfaction of Delhi Development Authority and payment be agreed to between both the licensor and the licensee.
- 10. The entire equipment, material etc. for running a Snack Bar shall be arranged by the licensee at his cost and expenses and he shall be responsible for its maintenance and safe custody. The licensee will also be responsible for the proper cleaning, upkeep and maintenance of the Snack Bar premises, furniture, fixtures and other items provided by the complex.
- 11. The licensee shall have to make his own arrangement at his own cost, to provide equipment/ staff/manpower i.e. refrigerators, helpers etc. required for running of the Snack Bar within the licensed premises.
- 12. THAT the overall control and supervision and possession of the licensed premises shall remain vested with the licensor or the Secretary, Delhi Development Authority or his authorized representative who shall have free access to inspect the said premises in order to check its bonafide and maintenance etc.
- 13. The licensee shall not use the licensed premises for any purpose other than for which it has been licensed.
- 14. The licensee shall not permit or cause to be permitted any unauthorized person use the licensed premises or any part thereof.
- 15. The licensee shall not induct any other person in the licensed premises and shall not allow the same or any part thereof to be used by any other person.
- 16. The licensee shall not cause or permit to be caused any damage to the licensed premises. Under no circumstances the licensee shall make any temporary or permanent additions or alterations etc. in the licensed premises without the written permission of the licensor. The licensee shall not be entitled to sub-let the Snack Bar or any part thereof.
- 17. The licensee shall abide by all rules regulations and bye-laws etc. of Municipal Corporation of Delhi, and all other concerned authorities, in the matter of running the business, keeping the licensed premises in proper condition and also in accordance with the special conditions and the Rules & Regulations made by Delhi Development Authority's Rashtriya Swabhimaan Khel Parisar.
- 18. The licensee shall pay all such taxes, fees etc. as may be required / levied by any authority.
- 19. The licensee shall maintain the premises / Snack Bar neat, clean and condition and shall abide by the timings and other stipulations laid down by the management from time to time.
- 20. THAT the licensee shall not display or exhibit pictures, posters, statues or any other articles, which are repugnant to the morals or are of indecent, immoral or of the improper character. The decision of the licensor in this regard shall be conclusive and binding on the license and shall not be subject matter of dispute.
- 21. The licensee shall not display or exhibit any advertisement etc. on any interior or exterior part of the licensed premises.

- 22. The licensee shall have no right title or interest in the licensed premises and legal possession of the Snack Bar shall always continue to vest in the licensor. The licensee will quit the site peacefully after the expiry of the license or its earlier cancellation, if any.
- 23. That in case, the said premises are destroyed or damaged by any natural calamity or riot or civil disturbances or war, so as to make it unfit for the use by the licensee, the license shall stand terminated automatically. The fire safety measures will be arranged by the bidder at his own expenses.
- 24. That the dealings of the licensee, his employees with the members/visitors/guests and employees of the Delhi Development Authority, RSKP shall be polite and courteous and he shall not indulge in any anti-social activities, which may cause harm to the interest of the Sports Complex or its employees. Licensee found or reported to be misbehaving or being discourteous or over charging shall be fined a sum of ₹ 500/-(Rupees Five Hundred Only) on each instance. Repetition of this on more than three occasions may result in cancellation of the license. Decision of the Commissioner (Sports) in this regard shall be final and binding.
- 25. THAT the licensee would be required to sign the inventory of the fittings and fixtures installed at the premises at the time of occupation and will be required to hand over the charge of the same without causing any damage at the time of vacating it, normal wear and tear accepted.
- 26. THAT the licensee shall be responsible for all damages on loss of property due to the reasons for which he or his servants are responsible and shall be liable to make good to Delhi Development Authority loss or damage that may be caused by the licensee on his behalf except those due to normal wear and tear or such damage caused by storm/earth quake or any other natural calamities beyond his control. The decision of the licensor in regard to the extent and quantum of compensation, if any, to be paid to it shall be binding upon the licensee.
- 27. THAT the premises shall not be used for residential purposes or for a purpose other than that for which it is allowed. The licensee shall not be permitted to use the premises for any other trade other than the authorized one during the period of the license.
- 28. THAT all or any amounts, fees, charges or other money payable by or due against the licensee shall, if not paid within the stipulated period be recoverable as arrears of land revenue.
- 29. In the event of the death of the licensee or the licensee becoming insolvent or in case of partnership, or its dissolution prior to the expiry of the period fixed herein, the license shall automatically stand terminated and the legal heirs or the legal representatives of the licensee shall not be entitled to use the premises. However, with the prior approval of the licensor in writing such legal heirs or representatives may be permitted by the licensor, after discharge of any liability under the licence, to remove the goods, belongings or assets of the licensee without causing any damage or injury to the licensed premises, fitting or fixtures, within four weeks of such demise of the licensee.
- 30. In the event of the licensee committing minor breach of any of the terms and conditions of the license or any of the special conditions prescribed in Annexure 'A' or of any rules or regulations made by Delhi Development Authority, a fine of ₹ 500/- (Rupees Five Hundred Only) can be imposed, while in case of major breach the license shall stand terminated and the security amount shall stand forfeited to Delhi Development Authority. The licensor shall thereafter, be entitled to re-enter the licensed premises and deal with it in any such manner as deemed fit. The decision of Commissioner (Sports) Delhi Development Authority in this regard shall be final and binding and shall not be called in question before any court or forum.
- 31. THAT on completion of the period of contract or on prior determination thereof the tenderer shall peacefully remove his materials from sites. If the tenderer does not remove materials within a

- fortnight of the service of notice upon him Delhi Development Authority, shall remove the same at the cost of licensee. Whereafter the materials shall stand forfeited to Delhi Development Authority.
- 32. THAT the licensee shall not claim any amount on account of loss of profit or damages for earlier determination of the license.
- 33. THAT no liability against Delhi Development Authority shall be created in respect of any disputes that might arise between the licensee and his employee/workers and any other person in respect to the liabilities of the licensee.
- 34. THAT the licensee shall be responsible to take all the necessary steps/precautions to prevent any mishap/accident/loss of life etc. however, on such occurrence due to any negligence on the part of the licensee of his staff, the licensee shall be held responsible and liable for any or all the consequences/liability arising there from and the Delhi Development Authority shall not be responsible for the same in any manner whatsoever.
- 35. THAT any misrepresentation or suppression of any materials facts shall render the license liable for cancellation.
- 36. THAT the licensee would be responsible to ensure that the provisions as laid down in the minimum wages Act and any other Act or rule as may be in force from time to time are strictly and properly adhered to and Delhi Development Authority will not be responsible for any such act or deed remaining unfulfilled on the part of the said licensee.
- 37. THAT the security deposit made by the licensee shall be released on the licensee furnishing a certificate from the competent authority that up-to-date dues/wages of the staff/labour, so engaged by the licensee, have been cleared and no dispute/claim is pending on the said account in any court of law/forum. Further the licensee shall have to submit a clearance certificate from Commissioner (Sports) or any other officer so authorized by Commissioner (Sports) that no amount is outstanding against him or any account whatsoever before release of security deposit. No interest shall be payable on the amount of security deposit.
- 38. THAT the decision of Commissioner (Sports) Delhi Development Authority in regard to interpretation of the terms and conditions shall be final and binding and shall not be called in questions in any proceedings before any court or forum.
- 39. THAT all or any of the power and rights exercised by Delhi Development Authority in respect of license deed shall be exercised by the Commissioner (Sports), Delhi Development Authority or such other officers as may be designated and the licensee shall not have any objection whatsoever in respect thereof.
- 40. THAT the licensor shall not be responsible for the safety of men or any other material or articles belonging to the licensee and also shall not be liable for any damage or injury to the property of the licensee lying at any time, in or, upon or around the said premises from any cause whatsoever.
- 41. THAT on expiry of the period of the license or an earlier determination or revocation of the license under the terms and conditions hereof, any belongings of the licensee found on the premises shall be liable to be sold through public auction unless claimed within a fortnight of the expiry of the period of license or determination or renovation of the contract as the case may be. The licensor shall be entitled to appropriate out of the proceeds of such sale, amount due to the licensor from the licensee and also, after deducting cost of administration and auction/sale of those belongings, the balance, if any, shall be paid over to the licensee or his legal heirs, representative etc. as the case may be.

- 42. THAT if, the licensee allows credit, he will do so at his own risk and the licensor will take no objection whatsoever in this regard and no request or claim from the licensee shall be entertained on this account.
- 43. THAT the premises shall be open to inspection by the representative and authorized staff of the licensor and also to execution of any structural repair, additions or alterations at site, checking of water and sanitary conditions or renovations which may be found necessary from time to time by the licensor and for the purpose, connected therewith. The licensee, shall make premises available for that purpose without raising any objection whatsoever.
- 44. THAT all or any of the powers vested in the licensor under these presents in respect of the grant, determination, revocation, cancellation or restoration of this license or recovery of any dues in respect there of or connected therewith shall also be exercised by Commissioner (Sports), Delhi Development Authority and the licensee shall have no objection whatsoever in this respect.
- 45. THAT in case of breach of any conditions as referred to above, or in case any charges, tax or any other amount not paid or for any other reason, the Commissioner (Sports) shall have the right to terminate, cancel and/or revoke the license and cause the material to be removed from the complex without any compensation, whatsoever, besides recovery of the loss caused to Delhi Development Authority.
- 46. The licensee will only be permitted to sell/serve snacks, soft drinks, juices, mineral water healthy food items/beverage including lunch packed at the Snack Bar. Sale of cigarettes, and liquor, within the complex is strictly prohibited.
- 47. The rates of items will be displayed either a board kept at a prominent place or can provide menu card to the customers.
- 48. All the sale will be on cash payment basis, credit sale only be permitted for supply of items to Secretary, within the complex premises for which consolidated bill will be cleared subject to entitlement of entertainment allowances every month. Any other credit sale affected by the licensee will be at his own risk and responsibility.
- 49. THAT quality of items served shall be good, wholesome and of best quality as approved by the Commissioner (Sports) or Secretary/RSKP.
- 50. The licensee shall be required to serve items from the Snack Bar counters and provide services within the Snack Bar premises only.
- 51. If at any time during the subsistence of the agreement the management desired to utilize the services of the licensee for any special event such as match/tournament, the licensee will arrange the same at the rates to be mutually agreed upon (in case items are outside the rate of items already agreed) as also necessary service at time and place to be indicated by the management. Not with standing anything given above or hereinafter the management reserves the right to use the Snack Bar premises at any time on any day as may be required.
- 52. The licensee shall supply white uniform to his staff to be approved by the management of Sports (Wing) at his own cost and shall ensure that uniform is neat, clean and pressed.
- 53. The licensee will ensure that all employees at Snack Bar during their working hours shall wear uniform supplied by the licensee. No employee of Snack Bar will be allowed to continue his duty without wearing uniform of approved pattern.
- 54. The employees at the Snack Bar shall be physically fit and free from any communication, contagious infection and any other diseases. They will be medically examined every 6 months at

licensee cost and will be given prophylactic treatment as required. Any employee found unfit will be replaced by the licensee immediately.

- 55. The license will adhere to safety precautions and avoid hazardous and unsafe working conditions and shall comply with the safety rules in force from time to time.
- 56. The licensee shall maintain a compliant/suggestion book for use of members. The book will be proceed on demand by members. This book will be put up for inspection to the Secretary once a week for perusal on every Tuesday.
- 57. Based on above terms and conditions the successful licensee shall be required to sign an agreement on non-judicial stamp paper worth ₹ 50/-(Rupees Fifty only). The quoted documents form part of the agreement along with licensee deed.
- 58. The word appearing herein "licensee" may be read as "Intending Licensee".
- 59. Debarred agency or individual shall not be permitted to participate in the tendering process.
- 60. Any individual who has been debarred is not permitted to take part in any negotiations or represent an agency even if he holds a power of attorney on the agencies behalf. Any agency engaging debarred persons is also liable to debarring.
- 61. The experience of agencies shall be taken into account rather than individuals incorporate with the agencies which does not include proprietorship.
- 62. Further, if any agency submits a faulty or incomplete tender for the first time, 20% of the earnest money so deposited shall be forfeited. However, if the agency commits fault or submits incomplete tender again in the subsequent tenders and the Competent Authority finds that the default has been willful, negligent or malafide in its intent, the earnest money shall be forfeited absolutely without assigning any reason and the tenderer shall not be allowed to participate in future tendering.
- 63. The duration of the license will be one year from the date of grant of license and the same shall be extendable year to year basis for maximum upto 3 years on the sole discretion of the licensor such extension / renewal shall be subject 5% increase on licence fee every year

AE (Civil), RSKP Delhi Development Authority

I have read and understood the above conditions and the same are acceptable to me/us.

Signature of Licensee Applicant

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY RASHTRIYA SWABHIMAAN KHEL PARISAR

SCHEDULE OF QUANTITIES

NOW: M/o RSKP, DDA.

SH.: Running & maintenance of Snack Bar at RSKP, DDA on Monthly Licence Fee Basis.

S.	Description of items	Qty	Unit	Rate	Amount
No.	_	,			
1	Running & maintenance of Snack Bar at	12	Per		
	RSKP, DDA on monthly licence fee	Months	Month		
	basis for twelve months.				
	Note : GST (as applicable) & Electricity				
	Charges (As per Meter / actual				
	consumption) in addition to Licence Fee				
	will also be paid by Licencee.				
	TOTAL				

Secretary/RSKP

AE(Civil)/RSKP

दिल्ली विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर

नोटिस आमंत्रण उद्धरण सं।02/ 2019-20 / आरएसकेपी / डीडीए पुन: कॉल

राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिषद, डीडीए के सचिव, नीचे वर्णित कार्य के लिए मुहरबंद उद्धरण आमंत्रित करते हैं। कोटेशन 3.00 बजे तक सचिव, आरएसकेपी, डीडीए के कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए। पर 01/11/2019। सील किए गए उद्धरण उसी दिन अपराहन 3.30 बजे परिसर के सचिव के कार्यालय में खोले जाएंगे। उद्धरणकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि सीलबंद उद्धरण के उद्घाटन के समय उपस्थित हो सकते हैं "भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के भुगतान आदेश / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में" सीएयू स्पॉर्ट्स आरडीए के पक्ष में आहरित धन। DDA "उद्धरण के साथ प्रस्तुत किया जाना है। कोई भी उद्धरण जो निर्धारित तरीके से बयाना राशि के साथ नहीं है, को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और इसका बिल्कुल भी हिसाब नहीं होगा". किसी भी सरकार में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव रखने वाली अनुभवी एजेंसियों से उद्धरण। निम्नलिखित कार्यों के लिए संगठन / पीएसयू / निजी क्षेत्र :-

अनुमानित लागत: Rs.2, 13, 684/- अग्रिम धन :Rs. 10, 000/-

काम का नाम: एम / या आरएसकेपी, डीडीए

उप प्रमुख: आरएसकेपी, पीतमपुरा में मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर स्नैक बार का संचालन और रखरखाव.

S. No.	Description of items	Qty	Unit	Rate	Amount
1.	Running & maintenance of snack bar on monthly licence fee basis at RSKP, DDA	12 Months	Per Month		
	TOTAL				

सहायक अभियंता (सिविल) आरएसकेपी / डीडीए

F1(10)2012/RSKP/Pt.II/465 Dt. 21/10/2019

C . .

- 1. आयुक्त (खेल) / डीडीए कृपया जानकारी के लिए
- 2. डीडीँए वेब-साइट पर डालर्ने के लिए निदेशक (सिस्टम)
- 3. सीनियर अकाउंट ऑफिसर CAU (स्पोर्ट्स) DDA
- कृपया जानकारी के लिए सचिव (समन्वय) के साथ DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सभी सचिव.
- सचिव, डीडीए कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, बैरक नंबर 1, ब्लॉक-ए, विकास कुटर, नई दिल्ली.
- 6. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ई -18, विकास क्टीर, नई दिल्ली.
- 7. एएओ / आरएसकेपी / डीडीए
- 8. एई (सिविल) / आरएसकेपी / डीडीए
- 9. प्रबंधक / आरएसकेपी / डीडीए
- 10. नोटिस बोर्ड, आरएसकेपी / डीडीए

सहायक अभियंता (सिविल) / आरएसकेपी / डीडीए

प्रमाण पत्र

में / हम, उपरोक्त नामित फर्म / कंपनी के अधिकृत व्यक्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली की ओर से 12 (बारह) की अविध के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिषद में स्नैक बार / कैफेटेरिया चलाने के लिए इच्छुक फर्म / कंपनी की ओर से आवेदन करते हैं। अनुबंध के नियमों और शर्तों के तहत महीने। मैंने अनुबंध की शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इसके लिए इच्छुक फर्म / निविदाकर्ता की ओर से उसी को स्वीकार करता हूं। I/ हम फर्म / कंपनी की ओर से निविदा का इरादा रखते हैं, शुल्क का भुगतान करेंगे और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर उक्त शर्तों के अनुसार निर्धारित रूप में समझौते को पूरा करेंगे। यदि मैं सुरक्षा और बैंक गारंटी के आधार पर राशि जमा करने में विफल रहता हूं या अनुबंध के नियमों और शर्तों में किए गए मेरे / हमारे दायित्वों में से किसी को पूरा करने के लिए, मेरे द्वारा जमा की गई राशि / हमें बयाना राशि के रूप में पूरी तरह से जब्त करना होगा को डीडीए.

डीडीए अपने विवेक से मेरे / हमारे ऊपर दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है या बिना कोई कारण बताए उसी को अस्वीकार कर सकता है

> (रबर स्टाम्प के साथ आवेदक का हस्ताक्षर) उपरोक्त नामांकित लाइसेंसधारी के अपने / उसके / उसके

नोट: - उपर्युक्त प्रारूप डाउनलोड, भरा हुआ और स्कैन की गई कॉपी अपलोड किया जा सकता है। कोटेशन जमा करने से पहले, उद्धरणकर्ता साइट का निरीक्षण कर सकता है और अपने स्थान, क्षेत्र के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकता है और व्यावसायिक संभावनाओं का आकलन कर सकता है

सामान्य नियम और शर्तें स्नैक बार के रिनंग और रखरखाव के लिए लाइसेंस के अनुदान के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी पर राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर

- क) कोई भी व्यक्ति, नाबालिंग को छोड़कर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक खेल परिषद में स्नैक बार दिल्ली विकास प्राधिकरण चलाने के लिए लाइसेंस देने के लिए बोली लगा सकता है
 ख) किसी भी परिस्थित में लाइसेंसधारियों के संविधान / शेयर होल्डिंग में परिवर्तन की अनुमित नहीं होगी
 ग) डीडीए, अपने विवेक से, बिना कोई कारण बताए किसी भी उद्धरण / निविदा या सभी कोटेशन / निविदाओं को अस्वीकार कर सकता है।
- 2. उद्धरण देने से पहले, बोलीदाता साइट का निरीक्षण कर सकता है और अपने स्थान, क्षेत्र के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकता है और व्यावसायिक संभावनाओं का आकलन कर सकता है और यह माना जाएगा कि निविदा उसी आधार पर दी जा रही है, जैसा कि आधार है। उस खाते में किसी भी स्थान, क्षेत्र और व्यवसाय की कमी के कारण कोई भी दावा झूठ और मनोरंजन नहीं किया जाएगा
- 3. बोली खोलने की तारीख से 60 दिनों की अविध के लिए उद्धरण मान्य रहेगा। यदि बोलीदाता उक्त अविध से पहले अपना प्रस्ताव वापस ले लेता है या निविदा के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन करता है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्वीकार्य नहीं है, तो उसका पूरा बयाना जब्त कर लिया जाएगा। इस संबंध में आयुक्त (खेल) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और किसी भी अदालत या अन्य फोरम के समक्ष पूछताछ नहीं की जाएगी
- 4. 10000 / (रुपये दस हजार केवल) की कमाई का पैसा "सीएयू स्पॉर्ट्स डीडीए" के खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से जमा किया जाएगा।
- 5. बोलीदाता की स्वीकृति की तारीख से 7 दिनों के भीतर, लाइसेंसधारी अपेक्षित मूल्य के स्टांप पेपर पर एक समझौते को निष्पादित करेगा और उसके निष्पादन के संबंध में सभी खर्च वहन करेगा।
- 6. सफल बोलीदाता लाइसेंस शुल्क + जीएसटी (जैसा कि लागू होता है) का भुगतान एक महीने पहले जमा कर देगा
- 7. सफल बोलीदाता "सीएयू स्पॉर्ट्स डीडीए" के पक्ष में RBI के किसी भी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / कॉल डिपॉज़िट रसीद के रूप में तीन महीने के लाइसेंस शुल्क के बराबर जमा राशि जमा करेगा। साइट के खाली कब्जे को सौंपने की तिथि के 3 महीने के बाद वापसी योग्य होगी और लाइसेंस अविध के दौरान समझौते की शर्तों के संतोषजनक और उचित पूर्ति के अधीन होगी। हालांकि जमा की गई सुरक्षा को घटना या समझौते में निहित किसी भी खंड के उल्लंघन के रूप में जब्त किया जा सकता है
- 8. लाइसेंसधारी को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अग्रिम में लाइसेंसकर्ता, मासिक लाइसेंस शुल्क + जीएसटी (जैसा कि लागू होता है) का भुगतान करना होगा। इसके अलावा लाइसेंसधारी परिसर में स्थापित संबंधित मीटर के रीडिंग के अनुसार या लाइसेंस मीटर में औसत खपत के आधार पर लाइसेंसकर्ता की मांग के अनुसार पानी और बिजली शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारक द्वारा किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क की स्थिति में, लाइसेंसधारी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किए जाने पर पानी और बिजली का शुल्क, ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा @ 18% p.a. शेष राशि अवैतनिक पर। ब्याज पाक्षिक आधार पर गणना योग्य होगा और एक दिन के डिफ़ॉल्ट को आधे महीने के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस रद्द होने के लिए भी उत्तरदायी होगा और सुरक्षा जमा बिना किसी नोटिस के जब्त कर लिया जाएगा और लाइसेंस रद्द होने पर, लाइसेंसधारक को तुरंत छोड़ दिया जाएगा और लाइसेंसकर्ता परिसर को फिर से आवंटित करने का हकदार होगा
- 9. कोटेशन / निविदाओं की स्वीकृति की तारीख से 7 दिनों के भीतर, लाइसेंसधारी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / सीडीआर के रूप में सुरक्षा जमा का भुगतान 3 महीने के लाइसेंस शुल्क के साथ करेगा। इस तरह की सुरक्षा जमा ब्याज मुक्त होगी और दिल्ली विकास प्राधिकरण की पूर्ण संतुष्टि के लिए सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए वापसी योग्य विषय होगी और लाइसेंसकर्ता और लाइसेंसधारी दोनों के बीच भुगतान पर सहमति होगी।

- 10. स्नैक बार को चलाने के लिए पूरे उपकरण, सामग्री आदि की व्यवस्था लाइसेंसधारी द्वारा अपनी लागत और खर्चों पर की जाएगी और वह इसके रखरखाव और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। स्नैक बार परिसर की उचित सफाई, रखरखाव और रखरखाव के लिए लाइसेंसधारी भी जिम्मेदार होगा, परिसर में उपलब्ध फर्नीचर, फिक्स्चर और अन्य सामान
- 11. लाइसेंसधारी को परिसर में स्नैक बार चलाने के लिए आवश्यक उपकरण / स्टाफ / मैनपावर यानि रेफ्रीजिरेटर, हेल्पर्स इत्यादि प्रदान करने के लिए अपनी स्वयं की लागत पर अपनी व्यवस्था करनी होगी।
- 12. समग्र नियंत्रण और लाइसेंस प्राप्त परिसरों के पर्यवेक्षण और कब्जे के लिए लाइसेंसकर्ता या सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के पास निहित रहेगा, जिनके पास अपने परिसर और रखरखाव आदि की जांच करने के लिए उक्त परिसर का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र पहुंच होगी।
- 13. लाइसेंसधारी किसी भी उद्देश्य के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर का उपयोग नहीं करेगा, जिसके लिए उसे लाइसेंस दिया गया है
- 14. लाइसेंसधारी किसी भी अनिधकृत व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त परिसर या उसके किसी भी हिस्से का उपयोग करने की अनुमति या कारण नहीं देगा
- 15. लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त परिसर में शामिल नहीं करेगा और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी या किसी भी हिस्से का उपयोग करने की अनुमित नहीं देगा।
- 16. लाइसेंसधारक को लाइसेंस परिसर के किसी भी नुकसान का कारण या अनुमित नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में लाइसेंसधारी की लिखित अनुमित के बिना लाइसेंसधारी किसी भी अस्थायी या स्थायी परिवर्धन या परिवर्तन आदि को लाइसेंस प्राप्त परिसर में नहीं करेगा। लाइसेंसधारी को स्नैक बार या उसके किसी भाग को उप-अधिकार देने का अधिकार नहीं होगा
- 17. लाइसेंसधारी दिल्ली नगर निगम के सभी नियमों विनियमों और उपनियमों आदि का पालन करेगा, और अन्य सभी संबंधित प्राधिकारी, व्यवसाय चलाने के मामले में, लाइसेंस प्राप्त परिसर को उचित स्थिति में और विशेष परिस्थितियों के अनुसार बनाए रखेंगे और दिल्ली विकास प्राधिकरण के राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिषद द्वारा बनाए गए नियम और विनियम
- 18. लाइसेंसधारी ऐसे सभी करों, शुल्क आदि का भुगतान करेगा जो किसी भी प्राधिकारी द्वारा आवश्यक / लगाया जा सकता है
- 19. लाइसेंसधारक परिसर / स्नैक बार को साफ, स्वच्छ और स्थिति बनाए रखेगा और समय-समय पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित समय और अन्य शर्तों का पालन करेगा।
- 20. लाइसेंसधारी चित्र, पोस्टर, मूर्तियों या किसी अन्य लेख को प्रदर्शित या प्रदर्शित नहीं करेगा, जो नैतिकता के प्रति अपमानजनक या अभद्र, अनैतिक या अनुचित चरित्र का हो। इस संबंध में लाइसेंसकर्ता का निर्णय निर्णायक और लाइसेंस पर बाध्यकारी होगा और विवाद का विषय नहीं होगा
- 21. लाइसेंसधारी किसी भी विज्ञापन या लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहरी हिस्से में किसी भी विज्ञापन आदि को प्रदर्शित या प्रदर्शित नहीं करेगा

- 22. लाइसेंसधारी के पास लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई सही शीर्षक या रुचि नहीं होगी और स्नैक बार के कानूनी कब्जे हमेशा लाइसेंसकर्ता में निहित रहेंगे। लाइसेंसधारक लाइसेंस की समाप्ति या इसके पहले रद्द होने के बाद शांति से साइट छोड़ देगा, यदि कोई हो
- 23. उस स्थिति में, उक्त परिसर किसी भी प्राकृतिक आपदा या दंगा या नागरिक गड़बड़ी या युद्ध से नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसलिए लाइसेंसधारी द्वारा उपयोग के लिए इसे अयोग्य बनाने के लिए, लाइसेंस स्वतः समाप्त हो जाएगा। अग्नि स्रक्षा उपायों की व्यवस्था बोलीदाता दवारा अपने खर्च पर की जाएगी
- 24. लाइसेंसधारी, उसके कर्मचारियों, सदस्यों / आगंतुकों / मेहमानों और दिल्ली विकास प्राधिकरण, आरएसकेपी के कर्मचारियों के साथ विनम्न और विनम्न व्यवहार करेगा और वह किसी भी असामाजिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा, जिससे उसके हितों को नुकसान हो सकता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या उसके कर्मचारी। लाइसेंसधारी ने पाया या दुर्व्यवहार करने या हतोत्साहित होने या अधिक चार्ज होने की सूचना दी, प्रत्येक उदाहरण पर 500 / (केवल पांच सौ रुपए) का जुर्माना लगाया जाएगा। तीन से अधिक अवसरों पर इसे दोहराने से लाइसेंस रद्द हो सकता है। इस संबंध में आयुक्त (खेल) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा
- 25. यह लाइसेंसधारक को व्यवसाय के समय परिसर में स्थापित फिटिंग और जुड़नार की सूची पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी और इसे खाली करने के समय कोई नुकसान न पहुंचाए, सामान्य पहनने के लिए उसी के प्रभार को सौंपने की आवश्यकता होगी। आंसू स्वीकार किए जाते हैं
- 26. यह लाइसेंसधारक संपत्ति के नुकसान पर सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, जिसके कारण वह या उसके सेवक जिम्मेदार हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण के नुकसान या क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा जो लाइसेंसधारी को उसकी ओर से हो सकता है सामान्य पहनने और आंसू या तूफान / पृथ्वी भूकंप या उसके नियंत्रण से परे किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षति के कारण। मुआवजे की सीमा और मात्रा के संबंध में लाइसेंसकर्ता का निर्णय, यदि कोई हो, तो उसे भ्गतान किया जाना लाइसेंसधारक के लिए बाध्यकारी होगा।
- 27. यह परिसर आवासीय उद्देश्यों के लिए या इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जिसके लिए इसकी अनुमति है। लाइसेंसधारक को लाइसेंस की अविध के दौरान प्राधिकृत के अलावा किसी अन्य व्यापार के लिए परिसर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
- 28. सभी या किसी भी राशि, शुल्क, शुल्क या अन्य धनराशि का भुगतान लाइसेंसधारक द्वारा या उसके कारण देय होगा, यदि निर्धारित अविध के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।
- 29. लाइसेंसधारक की मृत्यु होने की स्थिति में या लाइसेंसधारक दिवालिया हो जाने या साझेदारी के मामले में, या इसके विघटन से पहले निर्धारित अविध समाप्त होने के बाद, लाइसेंस स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और कानूनी उत्तराधिकारी या लाइसेंसधारी के कानूनी प्रतिनिधि पिरसर का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। हालांकि, ऐसे कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधियों को लिखने में लाइसेंसकर्ता की पूर्व स्वीकृति के साथ, लाइसेंसकर्ता द्वारा लाइसेंस के तहत किसी भी दायित्व के निर्वहन के बाद, किसी भी क्षिति या चोट के बिना लाइसेंस के माल, सामान या संपित को हटाने की अनुमित दी जा सकती है। लाइसेंसधारी पिरसर, फिटिंग या जुड़नार, लाइसेंसधारक के ऐसे निधन के चार सप्ताह के भीतर.
- 30. अनुजापत्र के किसी भी नियम या शर्तों के मामूली उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारक या अनुबंध 'ए 'या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी भी नियम या विनियम में विशेष शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में, 500 / का जुर्माना रुपए पांच सौ केवल) लगाए जा सकते हैं, जबिक प्रमुख उल्लंघन के मामले में लाइसेंस समाप्त हो जाएगा और सुरक्षा राशि दिल्ली विकास प्राधिकरण को जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद, लाइसेंसधारक लाइसेंस प्राप्त परिसर में फिर से प्रवेश करने और इसके साथ किसी भी तरह से निपटने के लिए उपयुक्त माना जाएगा। इस संबंध में आयुक्त (खेल) दिल्ली विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और किसी भी अदालत या फोरम के समक्ष प्रश्न में नहीं ब्लाया जाएगा।

- 31. अनुबंध की अविध के पूरा होने पर या उसके निर्धारण से पहले निविदाकर्ता शांतिपूर्वक साइटों से अपनी सामग्री हटा देगा। यिद निविदाकर्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण पर नोटिस की सेवा के एक पखवाड़े के भीतर सामग्री नहीं निकालता है, तो वह लाइसेंसधारक की लागत को हटा देगा। इसके बाद सामग्री दिल्ली विकास प्राधिकरण को जब्त कर ली जाएगी
- 32. लाइसेंसधारक को लाइसेंस के पूर्व निर्धारण के लिए लाभ या हानि के नुकसान पर किसी भी राशि का दावा नहीं करना चाहिए
- 33. दिल्ली विकास प्राधिकरण के खिलाफ कोई दायित्व किसी भी विवाद के संबंध में नहीं बनाया जाएगा जो लाइसेंसधारक और उसके कर्मचारी / श्रमिकों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच लाइसेंस के दायित्व के संबंध में उत्पन्न हो सकता है।
- 34. यह लाइसेंसधारक किसी भी दुर्घटना / दुर्घटना / जीवन की हानि आदि को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदमों / सावधानियों को लेने के लिए जिम्मेदार होगा, हालांकि, अपने कर्मचारियों के लाइसेंसधारी की ओर से किसी भी लापरवाही के कारण ऐसा होने पर, लाइसेंसधारक को आयोजित किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण किसी भी या सभी परिणामों के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी है और दिल्ली विकास प्राधिकरण किसी भी तरीके से उसी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 35. किसी भी गलत तथ्यों या किसी भी सामग्री तथ्यों के दमन को रदद करने के लिए उत्तरदायी लाइसेंस प्रदान करेगा
- 36. लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होगा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और किसी अन्य अधिनियम या नियम के अनुसार प्रावधान समय-समय पर लागू हों और इसका कड़ाई से पालन किया जाए और दिल्ली विकास प्राधिकरण किसी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। इस तरह के कार्य या उक्त लाइसेंसधारी की ओर से अधूरा शेष रहना
- 37. लाइसेंसधारी द्वारा की गई सुरक्षा जमा को सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले लाइसेंसधारी पर जारी किया जाएगा, जो कि लाइसेंसधारी द्वारा लगे कर्मचारियों / श्रमिकों के अप-टू-डेट बकाया / मजदूरी को मंजूरी दे दी गई है और कोई विवाद / दावा नहीं किया गया है। कानून / फोरम के किसी भी न्यायालय में उक्त खाते पर लंबित है। इसके अलावा लाइसेंसधारी को आयुक्त (खेल) या किसी अन्य अधिकारी से आयुक्त (खेल) द्वारा कोई मंजूरी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि सुरक्षा जमा जारी होने से पहले उसके पास या किसी भी खाते में कोई राशि बकाया नहीं है। सुरक्षा जमा की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा
- 38. नियमों और शर्तों की व्याख्या के संबंध में आयुक्त (खेल) दिल्ली विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और किसी भी अदालत या मंच से पहले किसी भी कार्यवाही में प्रश्नों में नहीं बुलाया जाएगा
- 39. लाइसेंस डीड के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति या अधिकारों का सभी या आयुक्त (खेल), दिल्ली विकास प्राधिकरण या ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाएगा जो नामित किए जा सकते हैं और लाइसेंसधारक को कोई आपति नहीं होगी सम्मान
- 40. लाइसेंसकर्ता पुरुषों या किसी अन्य सामग्री या लाइसेंसधारी से संबंधित लेखों की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और किसी भी समय, या उसके आसपास, लाइसेंसधारक की संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति या चोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी कारण से उक्त परिसर
- 41. लाइसेंस की अविध की समाप्ति या इसके पहले और उसके बाद नियमों और शर्तों के तहत लाइसेंस के निरसन की समाप्ति पर, परिसर में पाए गए लाइसेंसधारी का कोई भी सामान सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जा सकेगा जब तक कि एक पखवाड़े के भीतर दावा नहीं किया जाता। लाइसेंस की अविध की समाप्ति या अनुबंध का निर्धारण

या नवीकरण जैसा कि मामला हो सकता है। अनुज्ञापक को लाइसेंसधारी से अनुज्ञापी के कारण राशि और उन सामानों की प्रशासन और नीलामी / बिक्री में कटौती के बाद, शेष राशि, यदि कोई हो, शेष राशि का भुगतान करने का अधिकार होगा, तो शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। लाइसेंसधारी या उसका कानूनी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि आदि जैसा भी मामला हो

- 42. अगर लाइसेंसधारक क्रेडिट की अनुमति देता है, तो वह अपने जोखिम पर ऐसा करेगा और लाइसेंसकर्ता को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी और लाइसेंसधारक से कोई अनुरोध या दावा इस खाते पर दर्ज नहीं किया जाएगा।
- 43. यह पिरसर लाइसेंस के प्रतिनिधि और अधिकृत कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण करने के लिए खुला रहेगा और साइट पर किसी भी संरचनात्मक मरम्मत, पिरवर्धन या पिरवर्तन के निष्पादन के लिए, पानी और सैनिटरी स्थितियों की जाँच या नवीकरण जो समय-समय पर आवश्यक हो सकता है। लाइसेंसकर्ता और उद्देश्य के लिए, जुड़ा हुआ है। लाइसेंसधारी, किसी भी आपित को उठाए बिना उस उद्देश्य के लिए पिरसर उपलब्ध कराएगा
- 44. इस लाइसेंस के अनुदान, निर्धारण, निरसन, निरस्तीकरण या इस लाइसेंस के पुनर्स्थापन या पुनर्निवेश के संबंध में या इनसे संबंधित या इसके अलावा किसी भी बकाया राशि की वसूली के संबंध में लाइसेंसधारक में निहित सभी शिक्तयों को भी आयुक्त (खेल) द्वारा प्रयोग किया जाएगा।), दिल्ली विकास प्राधिकरण और लाइसेंसधारी को इस संबंध में कोई आपित नहीं होगी
- 45. उपरोक्त उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन के मामले में, या किसी भी शुल्क, कर या किसी अन्य राशि का भुगतान नहीं किया गया है या किसी अन्य कारण से, आयुक्त (खेल) को समाप्त करने, रद्द करने और / या रद्द करने का अधिकार होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण को हुए नुकसान की वसूली के अलावा, किसी भी क्षतिपूर्ति के बिना सामग्री को परिसर से हटा दिया जाए
- 46. लाइसेंसधारी को केवल स्नैक बार में पैक किए गए लंच सिहत स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस, मिनरल वाटर हेल्दी फूड आइटम / पेय बेचने / परोसने की अनुमित होगी। परिसर के भीतर सिगरेट, और शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है
- 47. वस्तुओं की दरें या तो एक प्रमुख स्थान पर रखे गए बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएंगी या ग्राहकों को मेनू कार्ड प्रदान कर सकती हैं
- 48. सभी बिक्री नकद भुगतान के आधार पर होगी, क्रेडिट बिक्री केवल सचिव को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनुमित दी जाएगी, जिसके लिए परिसर में समेकित बिल को मनोरंजन भत्ते के हकदार के अधीन हर महीने मंजूरी दी जाएगी। लाइसेंसधारी दवारा प्रभावित कोई अन्य क्रेडिट बिक्री अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर होगी
- 49. कमिश्नर (खेल) या सचिव / आरएसकेपी द्वारा अन्मोदित वस्त्ओं की ग्णवता अच्छी, अच्छी और उत्तम होगी।
- 50. लाइसेंसधारी को स्नैक बार काउंटरों से आइटम की सेवा करने और केवल स्नैक बार परिसर के भीतर सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होगी
- 51. यदि किसी भी समय समझौते के निर्वाह के दौरान प्रबंधन किसी भी विशेष कार्यक्रम जैसे कि मैच / टूर्नामेंट के लिए लाइसेंसधारी की सेवाओं का उपयोग करना चाहता है, तो लाइसेंसकर्ता दरों पर समान रूप से सहमत होने की व्यवस्था करेगा (मामले में आइटम बाहर हैं प्रबंधन द्वारा इंगित किए जाने वाले समय और स्थान पर आवश्यक सेवा के रूप में पहले से सहमत वस्तुओं की दर)। ऊपर दी गई किसी भी चीज के साथ नहीं या उसके बाद प्रबंधन को किसी भी समय स्नैक बार परिसर का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित है, जो आवश्यक हो
- 52. लाइसेंसधारी अपने कर्मचारियों को अपनी लागत पर खेल (विंग) के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित करने के लिए सफेद वर्दी की आपूर्ति करेगा और यह स्निश्चित करेगा कि वर्दी साफ, स्वच्छ और दबाया गया है

- 53. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि स्नैक बार में सभी कर्मचारी अपने काम के दौरान लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई वर्दी पहनेंगे। स्नैक बार के किसी भी कर्मचारी को स्वीकृत पैटर्न की वर्दी पहने बिना अपना कर्तव्य जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी
- 54. स्नैक बार के कर्मचारी शारीरिक रूप से फिट और किसी भी संचार, संक्रामक संक्रमण और किसी भी अन्य बीमारियों से मुक्त होंगे। लाइसेंसधारी लागत पर हर 6 महीने में उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी और आवश्यकतानुसार उन्हें रोगनिरोधी उपचार दिया जाएगा। अनिफट पाए जाने वाले किसी भी कर्मचारी को लाइसेंसधारक द्वारा तुरंत बदल दिया जाएगा
- 55. लाइसेंस सुरक्षा सावधानियों का पालन करेगा और खतरनाक और असुरक्षित काम करने की स्थिति से बचा जाएगा और समय-समय पर सुरक्षा नियमों का पालन करेगा
- 56. लाइसेंसधारक सदस्यों के उपयोग के लिए एक शिकायत / सुझाव पुस्तिका बनाए रखेगा। सदस्यों द्वारा मांग पर पुस्तक आगे बढ़ाई जाएगी। यह पुस्तक सचिव के निरीक्षण के लिए सप्ताह में एक बार प्रत्येक मंगलवार को मना करने के लिए रखी जाएगी
- 57. उपरोक्त नियमों और शर्तों के आधार पर सफल लाइसेंसधारी को गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर 50 / (केवल रुपए पचास) मूल्य पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। उद्धृत दस्तावेज लाइसेंसधारी विलेख के साथ समझौते का हिस्सा है
- 58. इस शब्द को "लाइसेंसधारी" के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है।
- 59. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली एजेंसी या व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी
- 60. जिस किसी व्यक्ति को डिबार किया गया है, उसे किसी भी बातचीत में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही वह एजेंसियों की ओर से अटॉर्नी की शक्ति रखता हो। किसी भी एजेंसी में पदच्युत व्यक्तियों को उलझाने के लिए भी उत्तरदायी है
- 61. एजेंसियों के अनुभव को उन लोगों के बजाय ध्यान में रखा जाएगा, जो उन एजेंसियों के साथ शामिल हैं, जिनमें प्रोप्राइटरशिप शामिल नहीं है
- 62. इसके अलावा, यदि कोई एजेंसी पहली बार दोषपूर्ण या अपूर्ण निविदा प्रस्तुत करती है, तो जमा की गई धनराशि का 20% जब्त किया जाएगा। हालांकि, यदि एजेंसी गलती करती है या बाद में निविदाओं में फिर से अधूरा निविदा प्रस्तुत करती है और सक्षम प्राधिकारी पाता है कि चूक अपने इरादे में दृढ़ इच्छाशक्ति, लापरवाही या खराबी है, तो बिना किसी कारण बताए बयाना धन पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं है
- 63. लाइँसेंस की अविध लाइसेंस के अनुदान की तारीख से एक वर्ष होगी और लाइसेंसधारक के एकमात्र विवेकाधिकार पर अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए वर्ष के आधार पर विस्तार योग्य वर्ष होगा जैसे लाइसेंस / नवीकरण लाइसेंस के अधीन 5% वृद्धि होगी हर साल शुल्क

सहायक अभियंता (सिविल) आरएसकेपी / डीडीए

मैंने उपरोक्त शर्तों को पढ़ा और समझा है और वही मुझे / हमें स्वीकार्य हैं